# न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

| उनवान संख्या | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
| --- | --- | --- |
| 84 / 19 | 29.07.2019 | 14/02/2020 |

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

**उनवान**

निर्मला बाई उर्फ विमला बाई पुत्री गोरधन पत्नी ओमप्रकाश जाति धाकड़ निवासी मण्डावरा हाल निवास देवपुरा जिला बूंदी

–वादनी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादी

**वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट**

उपस्थित– श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट वादनी की ओर से

**निर्णय**

वादनी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0नं0 132 रकबा 0.69 हे0, ख0नं0 168/2240 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 581 रकबा 1.82 हे0, ख0नं0 984 रकबा 1.05 हे0, ख0नं0 985 रकबा 1.03 हे0, ख0नं0 1058 रकबा 0.57 हे0, ख0नं0 1162 रकबा 0.58 हे0 कुल किता 7 रकबा 5.80 हे0 भूमि वादनी एवं अन्य की सहखातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादनी का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में निर्मला दर्ज है। मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड व पंचायत प्रमाण पत्र में वादी का नाम विमला दर्ज है तथा पंचायत ने निर्मला व विमला एक ही महिला वादनी का बताया है। प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम विमला के स्थान पर निर्मला दर्ज कर दिया है जो गलत है। जिसके कारण वादनी को भविष्य में काफी परेशानी होगी तथा ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नहीं हो सकेगी। वाद कारण प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम विमला के स्थान पर निर्मला दर्ज कर दिये जानें के कारण व दिनांक 19.07.2019 को वादनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करनें से इन्कार करनें पर पैदा हुआ।

वाद पेश कर वादनी ने निवेदन किया है कि वादनी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0नं0 132 रकबा 0.69 हे0, ख0नं0 168/2240 रकबा 0.06 हे0,



सहायक कलक्टर एवं ... दीगोद (कोटा)



Scanned by CamScanner

ख0नं0 581 रकबा 1.82 हे0, ख0नं0 984 रकबा 1.05 हे0, ख0नं0 985 रकबा 1.03 हे0, ख0नं0 1058 रकबा 0.57 हे0, ख0नं0 1162 रकबा 0.58 हे0 कुल किता 7 रकबा 5.80 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम निर्मला के स्थान पर विमला अथवा निर्मला उर्फ विमला दर्ज किये जानें व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। प्रतिवादी को आदेशित किया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। अन्य सहायता हो वह भी वादनी को प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादनी की ओर से निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम मण्डावरा सं0 2071–74 खाता नं0 359
2. तस्दीक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मण्डावरा दिनांक 18.07.2019
3. छायाप्रति आधार कार्ड विमला नागर पत्नी ओमप्रकाश नागर
4. छायाप्रति बचत खाता पास बुक मिनी सहकारी बैंक मण्डावरा
5. शपथ पत्र ललता बाई पुत्री गोरधन पत्नी सोहनलाल जाति धाकड निवासी मण्डावरा हाल रंगबाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. शपथ पत्र बद्री बाई पुत्री गोरधन पत्नी सत्यनारायण निवासी मण्डावरा हाल विनोबा भावे नगर कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
7. शपथ पत्र निर्मला बाई उर्फ विमला बाई पुत्री गोरधन पत्नी ओमप्रकाश जाति धाकड निवासी मण्डावरा हाल निवास देवपुरा जिला बूंदी

वाद वादनी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु सम्मन् जारी किये गये। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रकरण में जवाब मय पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ जो शामिल मिसल है।

हमनें उभय पक्ष को अपने–अपने साक्ष्य सहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर दिये तथा बाद साक्ष्य हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वादगत भूमि वाके ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 132 रकबा 0.69 हे0, ख0नं0 168/2240 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 581 रकबा 1.82 हे0, ख0नं0 984 रकबा 1.05 हे0, ख0नं0 985 रकबा 1.03 हे0, ख0नं0 1058 रकबा 0.57 हे0, ख0नं0 1162 रकबा 0.58 हे0 कुल किता 7 रकबा 5.80 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम निर्मला के स्थान पर विमला बाई दर्ज किये जानें की रिलीफ चाही है। जिसके सम्बन्ध में वादनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रति आधार कार्ड, छायाप्रति बचत खाता पास बुक, ग्राम पंचायत मण्डावरा द्वारा जारी तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार वादनी का नाम विमला होना प्रकट होता है। प्रकरण में विवादित भूमि की सहखातेदारान ललता बाई पुत्री गोरधन पत्नी सोहनलाल एवं बद्री बाई पुत्री गोरधन पत्नी सत्यनारायण ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादनी का नाम वादगत भूमि के गलत अंकित होनें तथा नाम दुरूस्त करनें की सहमति प्रकट की है। वादनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात्,



सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

शपथ पत्र, ग्राम पंचायत मण्डावरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अवलोकन से वादनी का नाम विमला होना जाहिर होता है। जिससे वादनी का नाम विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्तनीय है।

परिणामतः वाद वादनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 132 रकबा 0.69 हे0, ख0नं0 168/2240 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 581 रकबा 1.82 हे0, ख0नं0 984 रकबा 1.05 हे0, ख0नं0 985 रकबा 1.03 हे0, ख0नं0 1058 रकबा 0.57 हे0, ख0नं0 1162 रकबा 0.58 हे0 कुल किता 7 रकबा 5.80 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम निर्मला पुत्री गोरधन के स्थान पर विमला उर्फ निर्मला पुत्री गोरधन अंकित किया जावें, शेष यथावत् रहेगा। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 14/02/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा**

## उनवान

निर्मला बाई उर्फ विमला बाई पुत्री गोरधन पत्नी ओमप्रकाश जाति धाकड निवासी मण्डावरा हाल निवास देवपुरा जिला बूंदी

–वादनी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादी

**वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट**

**मिसल नम्बर–106/19**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 132 रकबा 0.69 हे0, ख0नं0 168/2240 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 581 रकबा 1.82 हे0, ख0नं0 984 रकबा 1.05 हे0, ख0नं0 985 रकबा 1.03 हे0, ख0नं0 1058 रकबा 0.57 हे0, ख0नं0 1162 रकबा 0.58 हे0 कुल किता 7 रकबा 5.80 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम निर्मला पुत्री गोरधन के स्थान पर विमला उर्फ निर्मला पुत्री गोरधन अंकित किया जावें, शेष यथावत् रहेगा।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 14/02/2020 को जारी किया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुदालयह | रुपये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| स्टाम्प वजूह सबूत | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| महन्ताना वकील | 0 | 0 | महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 | खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 | बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 | मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | 0 | 0 | मिलान | 0 | 0 |

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner